

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7-परियोजना/स्कीम का स्थान	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क (एन0ओ0एफ0एन0) ढलानी ग्राम पंचायत में ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाना।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	देहरादून
(iii) वन प्रभाग	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल वन भूमि = 0.144 है0
(v) वन की कानून स्थिति	0.144 है0 आरक्षित वन भूमि
(vi) हरियाली का घनत्व-	
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की गणना (संलग्न की जाय) सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बंध में एल.आर. एल.एफ., एफ.एल.आर.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.एल.आर.-4 मीटर की गणना संलग्न किये जायें।	कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है।
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि से गुजरता है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कोरी डोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-19 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-20 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	यह न्यूनतम भूमि है।
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य, अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-	-
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	-
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिस्य।	-
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय इकाई दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	-
11-उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण
12-विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5329 ² Km
(ii) जिले का वन क्षेत्र	2306.6565 वर्ग किमी०
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	710.51 है०
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	710.51 है०
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	-
(ख) वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	710.51 है०
(v)-अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति क- वन भूमि पर (आरक्षित) ख- वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	1243.12 है० 710.51 है०
13-प्रस्ताव की स्वीकृत कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	चूंकि यह योजना संचार से सम्बन्धित है, जो कि जनसेवा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्ताव स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक

स्थान-कालसी।

प्रमुख उपवन अधिकारी
कालसी

हस्ताक्षर

नाम C.A.

प्रमुख उपवन अधिकारी
कालसी भू०स० वन प्रभाग
कालसी

वन अधीक्षक
चौहड़पुर राजे, सहसपुर